



कार्यालय रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर।



32/7, आवास कालोनी, रामपुर उत्तर प्रदेश, 244901

Website: www.rdarampur.org. ✉ : rdarampur@gmail.com ☎ 0595-2352001

Allotment Letter

आवंटनपत्र

पत्रांक...../का०रा०वि०प्रा०/2025-26

दिनांक-

प्रेषक

सम्पत्ति प्रभारी
रामपुर विकास प्राधिकरण
रामपुर।

सेवामें,

श्री/श्रीमती कु.
पुत्र/पत्नी/पुत्री.
निवासी
.....
मों. नं०

Property Code :.....(इस कोड को प्राधिकरण से पत्र व्यवहार के समय अवश्य प्रयोग करें।)

विषय: व्योमकेश आवासीय योजना सेक्टर-....., में स्थित भूखण्ड सं०-....., श्रेणी-....., क्षेत्रफल-..... वर्गमी० के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा आवेदन के साथ पंजीकरण धनराशि रु (शब्दों में) प्राधिकरण कोष में जमा करते हुए आपके द्वारा उक्त योजना हेतु आवेदन किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक को आयोजित लॉट्टरी/ड्रा के माध्यम से आपके पक्ष में उक्त सम्पत्ति को आवंटित किया गया है। सम्पत्ति का अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमी० है तथा अनुमानित मूल्य रु०(शब्दों में) है।

अतएव उक्त सम्पत्ति की अवशेष धनराशि निम्न विवरण के अनुसार रामपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.rdarampur.org पर जाकर ऑनलाइन अथवा ई-चालान अथवा बैंक के माध्यम से निम्न प्रकार जमा करनी होगी:-

क्रमांक	विवरण	धनराशि	देय तिथि	
1.	सम्पत्ति का मूल्य			
	स्थानिक शुल्क (Locational Charge)			
	a	पार्क फेसिंग		
	b	कार्नर		
	c	18 मी. अथवा उस से चौड़ी रोड		
		जमा पंजीकरण धनराशि		
	अवशेष धनराशि			
2.	आवंटन धनराशि (भूखण्ड मूल्य स्थानिक शुल्क फ्री होल्ड सहित)			
3.	अवशेष धनराशि एकमुश्त के आधार पर			
	अथवा			
	किश्तों के आधार पर अवशेष धनराशि 3 वर्ष की 12 तैमासिक (Quarterly) किश्तों में निम्न विवरणानुसार रु. (10 प्रतिशत ब्याज सहित)			
किस्त संख्या	किस्त की तिथि	रु किस्त की धनराशि	रु किस्त में मूलधन	रु किस्त में ब्याज
a.				
b.				
c.				
d.				

e.			
f.			
g.			
h.			
i.			
j.			
k.			
l.			
Total			

नियम एवं शर्त :-

- आवंटन धनराशि देय तिथि अर्थात् आवंटन पत्र निर्गत होने के 60 दिनों के भीतर प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
- फ्रीहोल्ड/धनराशि उक्त देय तिथि तक जमा न करने पर विलम्ब के लिए विलम्ब ब्याज देय होगा।
- सम्पत्ति का मूल्य 50.00 लाख से अधिक होने पर लीज डीड के समय आवंटि द्वारा भूखण्ड के मूल्य से 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती कर अवशेष धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी तथा 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि आयकर विभाग में आवंटि द्वारा जमा कर चालान प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जायेगा। (पैन नम्बर AAALR0333H)
- 1. किशतों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 2 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।
- 2. विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
- 3. यदि अर्जन मूल्य/निर्माण की लागत में वृद्धि होती है तो बढ़े हुए मूल्य की धनराशि समानुपातिक आधार पर आवंटियों द्वारा देय होगी।
- 4. आवंटनपत्र की मूल प्रति को ही बैंक ऋण हेतु अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
- 5. देय किशतों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किशतें डिफॉल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी/उपाध्यक्ष, रामपुर विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका की शर्तों के अनुसार कटौती करके धनराशि वापस की जायेगी।
- 6. अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

प्रिंट दिनांक-

सम्पत्ति प्रभारी
रामपुर विकास प्राधिकरण
रामपुर